

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-272 / 2019

द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती गीता सिंह और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री जी०सी० झा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

4/21.08.2020 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया है। संबंधित वकीलों को इस कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जो आज सुबह 10:30 बजे के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

कार्यालय द्वारा बताए गए दोष संख्या 3 को नजरअंदाज कर दिया गया है।

यह सी०एम०पी०, एम०ए० सं०-436/2014 की पुनःस्थापन के लिए दायर किया गया है, जो 07.03.2019 के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

बताए गए आधारों से संतुष्ट होने के बाद, इस सी०एम०पी० की अनुमति है और एम०ए० सं०-436/2014 को इसके मूल में पुनःस्थापित किया गया है।

एम0ए0 सं0-436 / 2014

श्री जी0सी0 झा, अधिवक्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश का पालन करने का वचन देते हैं।

यदि आदेश का पूर्वोक्त अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो एम0ए0 बेंच के संदर्भ के बिना खारिज कर दिया जाएगा।

((डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0))